

मांग संख्या 34
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना में लंबित प्रकरणों के भुगतान हेतु ₹ 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत निःशक्त व्यक्तियों के लिए बाधारहित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्य पर ₹ 148.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 1,48,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।